(2) उक्त यात्रा हेतु श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल एवं निजी सुरक्षा एजेन्सीज, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल एवं निजी सुरक्षा एजेन्सीज, पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल एवं निजी सुरक्षा एजेन्सीज, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाशकाल में श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रदार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2015

क्र. एफ-3-115-2014-**बत्तीस.**—मध्यप्रदेश शासन द्वारा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2858-1-85-33, दिनांक 1973 के द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 (1) (क) अन्तर्गत छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र का गठन किया गया था. उक्त निवेश क्षेत्र की सीमा को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13(2) में निम्नानुसार पुनरक्षित किया जाता है. वर्धित निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दर्शाई गई हैं:—

अनुसूची

छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

उत्तर-पूर्व में—खैरीभोपाल, लहगडुया, अंजनिया, सुरगी, सोनाखार की उत्तर-पूर्वी सीमा तक.

पूर्व-दक्षिण में—इमलिया बोहता, बोरिया, सरसबाड़ा, सोनपुर, इमलीखेड़ा की पूर्व-दक्षिणी सीमा तक.

दक्षिण-पश्चिम में—थुनियाभांड, चन्दनगांव गुरैया, उसरिया, पोआमा, की दक्षिण-पश्चिमी सीमा तक.

पश्चिम-उत्तर में—काराबोह, खजरी, झण्डा की पश्चिम-उत्तरी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. के. मुदगल, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन"

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश—462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2015

क्र. एफ 67-14-13-तीन 479.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण